कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या :हि.अ./राजभाषा सम्मेलन-16/2017-18 1650 दिनांक:

07 JUN 2018

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल),
निदेशक पी.डी.ना.स.
अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (प्रशा.) मुख्यालय
सभी क्षे.भ.नि.आ., क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक/उप-आंचलिक आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

विषय: 16वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन - राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) एवं 8(4) के संबंध में (मद सं.-7) ।

संदर्भ: हि.अ./राजभाषा सम्मेलन-16/6/2017-18/5857 दिनांक 28.03.2018 पर संख्या 7

महोदय/महोदया,

दिनांक 09.02.2018 को जोधपुर में आयोजित 16वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान की गई समीक्षा में देखा गया कि संगठन के कुछ कार्यालय अभी भी राजभाषा नियम-10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने शेष हैं। राजभाषा नियम-10(4) के तहत जिन कार्यालयों में 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कराना आवश्यक है। अत: ऐसे सभी कार्यालय, जिनके 80% अधिकारियों / कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उन कार्यालयों को अभी तक अधिसूिचित नहीं किया गया है, विशेष तौर से कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के फलस्वरूप नव सृजित कार्यालय (आंचलिक कार्यालयों सहित), उन्हें राजभाषा नियम, 1976 के नियम-10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कराने का प्रस्ताव यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जाए।

इसके अतिरिक्त जो कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम-10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हो जाते हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अपने सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी करें। यह व्यक्तिश: आदेश प्रति वर्ष जारी किए जाएं। इसके साथ ही निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुभागों को भी तदनुसार नियम-8(4) के अंतर्गत शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए और इन अनुभागों के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाए तथा नियम-8(4) संबंधी विनिर्दिष्ट करने के लिए आदेश भी प्रतिवर्ष जारी किए जाएं।

इस संबंध में निदेशक, पी.डी.ना.स. सहित सभी अंचलों के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्तों से अनुरोध है कि वे क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यालय, जो नियम-10(4) के तहत अधिसूचित है का विवरण तथा नियम-8(4) अंतर्गत जारी नवीनतम आदेश की प्रति यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था करें।

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि

(के.एल. गोयल)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा